न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) इटावा जिला कोटा राज0

पीठासीन अधिकारी– श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस)

02/2019	तारीख दायरा 28.01.2010	तारीख फैसला 2/2/21

महावीर पुत्र श्री सीताराम आयु 38 वर्ष जाति धाकड़ निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

वादी

बनाम

1 सीताराम पुत्र श्री रामकिशन आयु 62 वर्ष जाति धाकड़ निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

2 राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज0

प्रतिवादीगण

निर्णय

वाद वास्ते घोषणा व विभाजन अन्तर्गत धारा 88,89,53 आर. टी. एक्ट

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि :–

1. यह कि आराजी खाता संख्या 314 पुराना 272 की खसरा संख्या 174/826 की रकबा 0.14 है खसरा संख्या 189 रकबा 1.84 है खसरा संख्या 487/825 रकबा 0.08 है खसरा संख्या 489 की रकबा 2.50 है खसरा संख्या 618 रकबा 0.30 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 4.86 है0 वाके माल दुर्जनपुरा पटवार क्षैत्र दुर्जनपुरा भू–अभिलेख क्षेत्र लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0 में स्थित है।
2. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी के पिता है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 बाप–बेटे है जिनको वाद मैं पक्षकार बनाया गया।
3. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 मैं वर्णित कृषि भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है। जो पूरखों से चली आ रही है जिसमें वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम दर्ज है जबकि वादी– एवं प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी मैं बराबर–बराबर हिस्सा निहित है।
4. यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 मैं वर्णित कृषि भूमि का पारिवारिक बटवारा कर रखा है जिसके मुताबिक ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अलग–अलग कब्जा काश्त है।
5. यह कि वादी को अधिकार प्राप्त है की विधिवत रूप से वादी का उक्त आराजी मै 1/2 हिस्से पर अधिकारों की घोषणा करवा कर के उक्त भूमि मे पृथक बटवारें की घोषणा भूमि की करवायें।
6. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 25/12/2018 को धमकी दी की वादी को पारिवारिक बटवारें में दे रखी जमीन को प्रतिवादी संख्या 1 जोर जबरदस्ती वापिस लेकर के रहन, बैचान, खुर्द करने पर आमादा है। यही वाद कारण है।

अतः श्रीमान से निवेदन है, कि वादी का वाद डिकी किया जा करके प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय कि डिकी पारित की जावें की :–

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में वादी का 1/2 हिस्से की भूमि का पृथक–पृथक बटवारा किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से की 1/2 भूमि का पृथक–पृथक बटवारें की विधिवत रूप से घोषणा की जावें। इस आशय की बटवारा डिक्री पारित की जावें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के तलबी जर्ये सम्मन की गई । प्रतिवादी कम 1 की ओर से श्री इन्द्रजीत मीणा द्वारा वकालतनामा पेश किया । दिनांक 14.6.2019 को प्रतिवादी कम 2 बावजूद सूचना उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही प्रस्तावित की गई। पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जाकर मुताबिक राजीनामा वाद का निस्तारण किये जाने हेतु निवेदन किया है।

प्रकरण में बहस राजीनामा सुनी गई । पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी कम 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी कम 1 के मध्य निम्नानुसार विभाजन किया जाता है।

(अ) महावीर पुत्र श्री सीताराम जाति धाकड़ निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा राज0 का हिस्सा:–

खसरा नम्बर	रकबा	दिशा
1114	1.83	सम्पुर्ण
1116	0.06	सम्पुर्ण
618	0.30	सम्पुर्ण

....

कुल किता 3 कुल रकबा 2.19 हैक्टेयर

(ब) सीताराम पुत्र श्री रामकिशन जाति धाकड़ निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा राज0 का हिस्सा ::–

खसरा नम्बर	रकबा	दिशा
1204	2.46	सम्पुर्ण

....

कुल किता 1 कुल रकबा 2.46 हैक्टेयर

उक्तानुसार राजस्व रेंकार्ड में अमल दरामद किया जाकर डिकी मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनांक ......2/2/21...................... को खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्दाई

(आ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

<u>अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा</u>

मिसल 02/2019

	तारीख दायरा	तारीख फैसला
	28.01.2010	2/2/21

पीठासीन अधिकारी– श्री रामावतार मीणा (आर.ए.एस)

उनवान

महावीर पुत्र श्री सीताराम आयु 38 वर्ष जाति धाकड़ निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

वादी

बनाम

1 सीताराम पुत्र श्री रामकिशन आयु 62 वर्ष जाति धाकड़ निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा राज0

2 राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा राज0

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

वकील वादी :– श्री लेखराज धाकड

वकील प्रतिवादी – श्री इन्द्रजीत मीणा

<u>वाद वास्ते घोषणा व विभाजन अन्तर्गत धारा 88,89,53 आर. टी. एक्ट</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे बहाजिरी मिनजानिब मुददई रूबरू श्री लेखराज धाकड मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :– अतः प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है। मुताबिक राजीनामा विवादित आराजीयात् वादी एवं प्रतिवादीगण 1 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है।

(अ) महावीर पुत्र श्री सीताराम जाति धाकड़ निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा राज0 का हिस्सा:–

खसरा नम्बर	रकबा	दिशा
1114	1.83	सम्पुर्ण
1116	0.06	सम्पुर्ण
618	0.30	सम्पुर्ण

कुल किता 3 कुल रकबा 2.19 हैक्टेयर

(ब) सीताराम पुत्र श्री रामकिशन जाति धाकड़ निवासी दुर्जनपुरा तहसील पीपल्दा राज0 का हिस्सा :–

खसरा नम्बर	रकबा	दिशा
1204	2.46	सम्पुर्ण

कुल किता 1 कुल रकबा 2.46 हैक्टेयर

1 यह कि वादी व प्रतिवादी कम 1 उक्त राजीनामा से सन्तुष्ट है व इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम अमल दरामद कराना चाहते है।

उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाकर डिक्री मुर्तिब की जावे।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट

इटावा जिला कोटा

Scanned with CamScanner

[illegible] आराजीयात पर यदि किसी बैंक का रहनभार है तो यथावत रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्तानुसार अंतिम डिक्री मुर्तिब की जाती है।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजूह सबूत			स्टाम्प अर्जी		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बाबत इजराय हुक्मनामा			बाबत इजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		

सहायक कलक्टर [illegible]
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) इटावा